न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 42/2018(2018/00162)

अनवान : –

पार्वती पत्नी स्व. बाबुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं0 4 हाल, वार्ड नं0 5 कस्बा भादरा ।

प्राथी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री योगेश शर्मा **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक : 18/02/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 केआरपी के वर्तमान खाता सं 95/31 के मुरब्बा नम्बर 26, 27, 28, 43, 44 कुल किता 17 का 1. 5050 हैक्टेयर, चक 5 बीएचडी के खाता संख्या 19/13 के मुरब्बा नं0 31 की 3.0360 हैक्टेयर, चक 6 बीएचडी के खाता संख्या 31/33 के मुरब्बा नं0 7 की 0.759 व खाता संख्या 135/125 के मुरब्बा नं0 2, 7 की कुल 0.759 हैक्टेयर व खाता संख्या 60/57 के मुरब्बा नं0 16, 51, 52, 53 की कुल 5.3380 हैक्टेयर प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम पार्वती की बजाऐ सुन्दर देवी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व भामाशाह कार्ड इत्यादि में प्रार्थीया का नाम पार्वती देवी दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में वार्ड पार्षद नं0 5 के द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थीया का उपरोक्त जमाबन्दी में पार्वती की बजाऐ सुन्दर देवी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी [illegible] कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकती है और उसको [illegible] उपयोग उपभोग नहीं कर सकती है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपना नाम उक्त [illegible] रिकार्ड में अंकित [illegible] नाम सुन्दर देवी के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक [illegible] पार्वती देवी दर्ज क[illegible] का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम पार्वती देवी के स्थान पर सुन्दर देवी दर्ज होने से प्रार्थीया राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया का नाम सुन्दर देवी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थीया के चक 1 केआरपी के खाता संख्या 95/31, चक 5 बीएचडी के खाता संख्या 19/13 व 6 बीएचडी के खाता संख्या 31/33, खाता संख्या 135/125 व खाता संख्या 60/57 में प्रार्थीया का नाम पार्वती देवी दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक चक 1 केआरपी के खाता संख्या 95/31, चक 5 बीएचडी के खाता संख्या 19/13 व 6 बीएचडी के खाता संख्या 31/33, खाता संख्या 135/125 व खाता संख्या 60/57 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पार्वती देवी के स्थान पर सुन्दर देवी दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थीया ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थीया का नाम पार्वती देवी अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 1 केआरपी के खाता संख्या 95/31, चक 5 बीएचडी के खाता संख्या 19/13 व 6 बीएचडी के खाता संख्या 31/33, खाता संख्या 135/125 व खाता संख्या 60/57 में प्रार्थीया का नाम **''सुन्दर देवी के स्थान पर पार्वती देवी''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए सुन्दर देवी ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य एकत्र होता हो तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:13 IST
Reason: Self Attested

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़